

न्यायालय जिला कलक्टर, उदयपुर

पीठासीन अधिकारी:-, अरविन्द कुमार पोसवाल आई.ए.एस

प्रकरण संख्या:-64 / 22 राजस्व(अपील)

जी.सी.एम.एस. नंबर: 2022/73

1. श्रीमती डाउबाई पत्नी स्व. गणेश डांगी निवासी: मनवाखेड़ा, तहसील-गिर्वा, उदयपुर
2. मानालाल पिता श्री गणेश डांगी निवासी: मनवाखेड़ा, तहसील-गिर्वा, उदयपुर
3. गंगाराम पिता श्री गणेश डांगी निवासी: मनवाखेड़ा, तहसील-गिर्वा, उदयपुर
4. प्रेमचंद पिता श्री गणेश डांगी निवासी: मनवाखेड़ा, तहसील-गिर्वा, उदयपुर
5. चम्पालाल पिता श्री गणेश डांगी निवासी: मनवाखेड़ा, तहसील-गिर्वा, उदयपुर
6. पृथ्वीराज पिता श्री गणेश डांगी निवासी: मनवाखेड़ा, तहसील-गिर्वा, उदयपुर
7. श्रीमती राधाबाई पत्नी स्व. मांगीलाल डांगी पिता श्री गणेश डांगी निवासी: आकाशवाणी के सामने, खेमपुरा, तहसील-गिर्वा, उदयपुर
8. श्रीमती सुशीला पत्नी श्री भूरीलाल डांगी पिता श्री गणेश डांगी निवासी: कलडवास, तहसील-गिर्वा, उदयपुर
9. हीरालाल डांगी पिता श्री गणेश डांगी निवासी: मनवाखेड़ा, तहसील-गिर्वा, उदयपुर

अपीलाण्टगण

बनाम

1. शिवलाल पिता श्री कन्ना उर्फ किशनलाल डांगी निवासी: मनवाखेड़ा, तहसील-गिर्वा, उदयपुर
2. श्रीमती गंगाबाई पुत्री श्री कन्ना उर्फ किशनलाल डांगी निवासी: मनवाखेड़ा, तहसील-गिर्वा, उदयपुर
3. श्रीमती डाकूबाई पुत्री श्री कन्ना उर्फ किशनलाल डांगी निवासी: मनवाखेड़ा, तहसील-गिर्वा, उदयपुर
4. श्रीमती रामुबाई पुत्री श्री कन्ना उर्फ किशनलाल डांगी निवासी: मनवाखेड़ा, तहसील-गिर्वा, उदयपुर
5. भीमजी पिता श्री मोती डांगी निवासी: मनवाखेड़ा, तहसील-गिर्वा, उदयपुर
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार गिर्वा, उदयपुर

रेस्पोडेंटगण

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम विरुद्ध आदेश
तहसीलदार गिर्वा, जिला-उदयपुर नामान्तरकरण संख्या 3360 दिनांक 21.05.2021



उपरिथत:- 1. श्री कैलाश नागदा अधिवक्ता अपीलाण्टगण
2. श्री हनुमान प्रसाद शर्मा, अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 1 से 4

निर्णय

दिनांक-21-10-2024

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलाण्ट द्वारा एक अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम विरुद्ध तहसीलदार गिर्वा द्वारा

जिला कलक्टर
उदयपुर

पारित नामांतरकरण संख्या 3360 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलान्ट एवं रेस्पोंडेंटगण के स्वामित्व एवं आधिपत्य के मौजा मनवाखेड़ा, तहसील गिर्वा में आराजी संख्या 1006 रकबा 0.0650 हैक्टेयर, आराजी संख्या 1007 रकबा 0.1700 हैक्टेयर, आराजी संख्या 1008 रकबा 0.1300 हैक्टेयर, आराजी संख्या 1762 रकबा 0.0450 हैक्टेयर, आराजी संख्या 1763मी. रकबा 0.0500 हैक्टेयर, आराजी संख्या 1783 रकबा 0.2500 हैक्टेयर, आराजी संख्या 1789 रकबा 0.0050 हैक्टेयर, आराजी संख्या 1790 रकबा 0.0200 हैक्टेयर, आराजी संख्या 1791 रकबा 0.2100 हैक्टेयर, आराजी संख्या 1798 रकबा 0.0050 हैक्टेयर, आराजी संख्या 1799 रकबा 0.2200 हैक्टेयर, आराजी संख्या 1800 रकबा 0.0200 हैक्टेयर, आराजी संख्या 1866 रकबा 0.0700, आराजी संख्या 1867 रकबा 0.0550 हैक्टेयर, आराजी संख्या 1868 रकबा 0.0800 हैक्टेयर, आराजी संख्या 1913 रकबा 0.0750 हैक्टेयर, आराजी संख्या 1914 रकबा 0.0650 हैक्टेयर, आराजी संख्या 1915 रकबा 0.0850 हैक्टेयर, आराजी संख्या 1916 रकबा 0.1600 हैक्टेयर, आराजी संख्या 1917 रकबा 0.1850 हैक्टेयर, आराजी संख्या 1918 रकबा 0.0100 हैक्टेयर, आराजी संख्या 1919 रकबा 0.2100 हैक्टेयर, आराजी संख्या 1923 रकबा 0.1450 हैक्टेयर, आराजी संख्या 814 रकबा 0.1200 हैक्टेयर, आराजी संख्या 815 रकबा 0.1100 हैक्टेयर कुल किता 25 रकबा 2.5600 हैक्टेयर स्थित हैं। वादग्रस्त आराजीयात के मूल पुरुष नन्दा जी थे जिनके दो लड़के मोती और जग्गा हुये इस प्रकार नन्दा जी के मरने के बाद विरासत में 1/2 हिस्सा मोती का हुआ तथा 1/2 हिस्सा जग्गा का हुआ तथा मोती के मरने के बाद विरासत का उनका हिस्सा उनके तीनों लड़को गणेशलाल, किशनलाल और भीमजी के नाम दर्ज हुआ यानि की प्रत्येक लड़के का 1/6 हिस्सा विरासत से प्राप्त हुआ तथा जग्गा के मरने के बाद जग्गा का 1/2 हिस्सा विरासत से उसके तीन पुत्रों गांगा, केवला, लालु को प्राप्त हुआ यानि की प्रत्येक पुत्र को 1/6 हिस्सा प्राप्त हुआ। अपीलान्टगण जग्गा के 1/2 हिस्से बाबत कोई विवाद नहीं है न इस हिस्से में अपीलान्टगण कोई क्लेम कर रहे है। मोती के तीन लड़को में से गणेश की भी मृत्यु हो चुकी है जिसके वारिसान अपीलान्टगण है, लेकिन हिस्से बाबत विवाद होने से विरासत का नामांतरकरण अभी नहीं खुलवाया है। मोती के एक लड़का किशनलाल हुआ जिसकी भी मृत्यु मोती(अपने पिता) से पहले हो चुकी है तथा मोती का एक लड़का भीम जी हुआ जो जीवित है जो रेस्पोंडेंट संख्या 5 है। मोती के मरने के बाद विरासत से मोती के प्रत्येक लड़के का 1/6 हिस्सा खाते में दर्ज होना चाहिये था लेकिन राजस्व कर्मचारियों की लापरवाही से अपीलान्टगण एवं रेस्पोंडेंट संख्या 5 का 1/8 - 1/8 दर्ज कर दिया है जबकि 1/6 हिस्सा दर्ज होना चाहिये था तथा किशनलाल के मृत्यु होने के पश्चात् विरासत से नामान्तरकरण शिवलाल एवं जेतीबाई प्रत्येक के नाम पर 1/12 - 1/12 हिस्सा दर्ज होना चाहिए था जबकि उनके नाम पर भी 1/8 - 1/8 हिस्सा दर्ज कर दिया गया है जो गलत है। किशनलाल की पत्नी जेतीबाई की भी मृत्यु हो चुकी है। जिसका नामांतरकरण विरासत से खुल चुका है किशनलाल की पत्नी जेतीबाई की मृत्यु के बाद जो नामांतरकरण खोला गया वह जेतीबाई के 1/8 हिस्से के आधार पर खोला गया जबकि 1/12 हिस्से के आधार पर खोलना चाहिये



जिला कलक्टर
उदयपुर

न्यायालय जिला कलक्टर, उदयपुर

प्र.स. 64/22 राजस्व

डाऊनबाई बनाम शिवलाल

जी.सी.एम.एस. नंबर: 2022/73

था, इसलिए नामांतरकरण संख्या 3360 खोला गया वह भी गलत खोला गया है। जेतीबाई के वारिसों में उसका पुत्र शिवलाल एवं तीन लड़किया है जो कि रेस्पोंडेंट संख्या 1 से 4 है। रेस्पोंडेंट संख्या 1 से 4 को कई बार इन्द्राज दुरस्ती करने को कहा लेकिन वह आजकल करते हुये टालमटोली करते रहे, अन्ततः मना कर दिया। मौजा मनवाखेडा की संवत् 2042 की जमाबंदी में अपीलाण्टस् के दादा मोती जी का 1/2 हिस्सा लिखा हुआ है तथा गांगा, गोकुल, लालु का 1/2 हिस्सा लिखा हुआ है, लेकिन इस दौरान मोती की मृत्यु हो जाती है तो विरासत से नामांतरकरण संख्या 115 खोला गया वह त्रुटिपूर्ण खोला गया है। उपरोक्त आराजीयात में अपीलाण्ट के पिता का 1/6 हिस्सा एवं रेस्पोंडेंट संख्या 1 से 4 के पिता का 1/6 हिस्सा एवं रेस्पोंडेंट संख्या 5 का 1/6 हिस्सा बनता है। रेस्पोंडेंट संख्या 1 ने इस त्रुटि का फायदा उठाते हुए कई सारी जमीने विक्रय कर दी, लेकिन जो जमीने विक्रय कर दी है उनके बारे में अपीलाण्टस् अलग से कार्यवाही करेंगे। इस अपील में केवल मात्र वर्तमान में जो जमीन है उसके बारे में अपील प्रस्तुत की जा रही है। नामांतरकरण संख्या 115 के गलत इन्द्राज के आधार पर मृतक किशनलाल के दोनो वारिसों शिवलाल एवं जेतीबाई के नाम पर जो 1/8 - 1/8 हिस्सा दर्ज हुआ है लेकिन हाल ही में जेतीबाई की मृत्यु हो चुकी है, उसके विरासत के नामांतरकरण संख्या 3360 खोला गया है जिसमें प्रत्येक वारिस का 1/32 हिस्सा खोला गया है वह भी गलत है, जेतीबाई के प्रत्येक वारिसों का 1/32 नहीं होकर 1/48 हिस्सा बनता है। इस प्रकार पश्चात्पूर्ती नामांतरकरण संख्या 3360 भी निरस्त होने योग्य है। अपीलाण्ट संख्या 5 को रुपयो की आवश्यकता हुई तो अपीलाण्ट संख्या 5 भूमि पर ऋण प्राप्त करने के लिये सितम्बर के प्रथम सप्ताह में भूमि की जमाबंदी लेने बाबत पटवारी हल्का के पास गया और पटवारी हल्का से नकल प्राप्त की तो नकल देखने पर ज्ञात हुआ कि अपीलाण्ट के पिता का 1/6 हिस्सा दर्ज नहीं होकर 1/8 वां हिस्सा दर्ज कर रखा है। पुरानी नकले तहसील कार्यालय से जमाबंदी की निकलवाई तो ज्ञात हुआ कि नामांतरकरण के आधार पर जमाबंदी में त्रुटि रह गई है। वैसे भी गलत तथ्यों के आधार पर खोले गये नामांतरकरण की कोई मयाद नहीं होती है। मूल नामांतरकरण संख्या 115 जो तहसीलदार गिर्वा के द्वारा पारित किया गया है उसकी अपील की सुनवाई का अधिकार माननीय न्यायालय को प्राप्त होने से पश्चात्पूर्ती नामांतरकरण संख्या 3360 खोला गया है उस अपील को भी आप न्यायालय में प्रस्तुत की जा रही है। अतः प्रार्थना है कि अपील अपीलाण्ट स्वीकार फरमाई जाकर नामांतरकरण संख्या 3360 को निरस्त फरमाया जावे तथा नामांतरकरण एवं जमाबंदी में हुयी त्रुटि को सुधारा जावें

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विक्षणीगण को जरीये नोटिस तलब किया गया। उभयपक्ष उपस्थित। रेस्पोंडेंट द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं कर सीधे ही बहस की गई।

विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट द्वारा अपनी अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अपीलाण्ट एवं रेस्पोंडेंटगण के स्वामित्व एवं आधिपत्य के मौजा मनवाखेडा, तहसील गिर्वा में आराजी संख्या 1006 रकबा 0.0650 हैक्टेयर,



M
जिला कलक्टर
उदयपुर

न्यायालय जिला कलक्टर, उदयपुर

प्र.स. 64/22 राजस्व

डाऊबाई बनाम शिवलाल

जी.सी.एम.एस. नंबर: 2022/73

आराजी संख्या 1007 रकबा 0.1700 हैक्टेयर, आराजी संख्या 1008 रकबा 0.1300 हैक्टेयर, आराजी संख्या 1762 रकबा 0.0450 हैक्टेयर, आराजी संख्या 1763मी. रकबा 0.0500 हैक्टेयर, आराजी संख्या 1783 रकबा 0.2500 हैक्टेयर, आराजी संख्या 1789 रकबा 0.0050 हैक्टेयर, आराजी संख्या 1790 रकबा 0.0200 हैक्टेयर, आराजी संख्या 1791 रकबा 0.2100 हैक्टेयर, आराजी संख्या 1798 रकबा 0.0050 हैक्टेयर, आराजी संख्या 1799 रकबा 0.2200 हैक्टेयर, आराजी संख्या 1800 रकबा 0.0200 हैक्टेयर, आराजी संख्या 1866 रकबा 0.0700, आराजी संख्या 1967 रकबा 0.0550 हैक्टेयर, आराजी संख्या 1868 रकबा 0.0800 हैक्टेयर, आराजी संख्या 1913 रकबा 0.0750 हैक्टेयर, आराजी संख्या 1914 रकबा 0.0650 हैक्टेयर, आराजी संख्या 1915 रकबा 0.0850 हैक्टेयर, आराजी संख्या 1916 रकबा 0.1600 हैक्टेयर, आराजी संख्या 1917 रकबा 0.1850 हैक्टेयर, आराजी संख्या 1918 रकबा 0.0100 हैक्टेयर, आराजी संख्या 1919 रकबा 0.2100 हैक्टेयर, आराजी संख्या 1923 रकबा 0.1450 हैक्टेयर, आराजी संख्या 814 रकबा 0.1200 हैक्टेयर, आराजी संख्या 815 रकबा 0.1100 हैक्टेयर कुल किता 25 रकबा 2.5600 हैक्टेयर स्थित हैं। वादग्रस्त आराजीयात के मूल पुरुष नन्दा जी थे जिनके दो लड़के मोती और जग्गा हुये इस प्रकार नन्दा जी के मरने के बाद विरासत में 1/2 हिस्सा मोती का हुआ तथा 1/2 हिस्सा जग्गा का हुआ तथा मोती के मरने के बाद विरासत का उनका हिस्सा उनके तीनों लड़को गणेशलाल, किशनलाल और भीमजी के नाम दर्ज हुआ यानि की प्रत्येक लड़के का 1/6 हिस्सा विरासत से प्राप्त हुआ तथा जग्गा के मरने के बाद जग्गा का 1/2 हिस्सा विरासत से उसके तीन पुत्रों गांगा, केवला, लालु को प्राप्त हुआ यानि की प्रत्येक पुत्र को 1/6 हिस्सा प्राप्त हुआ।

विरासत से नामांतरकरण संख्या 115 खोला गया वह त्रुटिपूर्ण खोला गया है। उपरोक्त आराजीयात में अपीलान्ट के पिता का 1/6 हिस्सा एवं रेस्पोंडेंट संख्या 1 से 4 के पिता का 1/6 हिस्सा एवं रेस्पोंडेंट संख्या 5 का 1/6 हिस्सा बनता है। रेस्पोंडेंट संख्या 1 ने इस त्रुटि का फायदा उठाते हुए कई सारी जमीने विक्रय कर दी, लेकिन जो जमीने विक्रय कर दी है उनके बारे में अपीलान्टस् अलग से कार्यवाही करेंगे। इस अपील में केवल मात्र वर्तमान में जो जमीन है उसके बारे में अपील प्रस्तुत की जा रही है। नामांतरकरण संख्या 115 के गलत इन्द्राज के आधार पर मृतक किशनलाल के दोनो वारिसों शिवलाल एवं जेतीबाई के नाम पर जो 1/8 - 1/8 हिस्सा दर्ज हुआ है लेकिन हाल ही में जेतीबाई की मृत्यु हो चुकी है, उसके विरासत के नामांतरकरण संख्या 3360 खोला गया है जिसमें प्रत्येक वारिस का 1/32 हिस्सा खोला गया है वह भी गलत है, जेतीबाई के प्रत्येक वारिसों का 1/32 नहीं होकर 1/48 हिस्सा बनता है। इस प्रकार पश्चात्वर्ती नामांतरकरण संख्या 3360 भी निरस्त होने योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर नामांतरकरण संख्या 3360 को निरस्त फरमाया जावे।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोंडेंट संख्या 1 से 4 द्वारा निवेदन किया गया कि विरासत के आधार पर खोले गये नामांतरकरण संख्या 115 में यदि उत्तराधिकार के आधार पर राजस्व रेकॉर्ड में कोई त्रुटि प्रतीत होती है एवं अपीलान्ट को हक हिस्सा प्रभावित




जिला कलक्टर
उदयपुर

न्यायालय जिला कलक्टर, उदयपुर

प्र.स. 64/22 राजस्व

डाऊर्बाई बनाम शिवलाल

जी.सी.एम.एस. नंबर: 2022/73

होता है एवं उक्त अपील आप न्यायालय द्वारा स्वीकार की जाती है तो कोई ऐतराज नहीं है। उक्त अपीलाधीन नामांतरकरण संख्या 115 सहवन से हम रेस्पोंडेंट शिवलाल एवं जेतीबाई के नाम पर 1/8 - 1/8 हिस्सा खुला खोला गया जबकि वास्तविकता में शिवलाल एवं जेतीबाई का संयुक्त रूप से 1/6 हिस्सा खुलना चाहिए था। जेतीबाई की मृत्यु के पश्चात् जेतीबाई के वारिसान के नाम 1/36 वां हिस्सा से विरासत से नामांतरकरण संख्या 3360 खोला गया जबकि वास्तविकता में यह भी 1/48 वें हिस्से अनुसार नामांतरकरण की कार्यवाही होनी चाहिए थी। उक्त नामांतरकरण जो तहसीलदार गिर्वा द्वारा खोला गया है उसको निरस्त कर अपीलाण्टगण का हिस्सा दुरुस्त किया जाता है तो रेस्पोंडेंटगण को कोई उजर-ऐतराज नहीं है।

उभयपक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। अपीलाण्ट के कथनानुसार राजस्व ग्राम मनवाखेडा के उपरोक्त आराजीयात के मूल पुरुष नन्दा जी थे जिसके वारिसान मोती व जग्गा हुये। प्रस्तुत प्रकरण मोती के हिस्से की 1/2 भूमि से संबंधित है। मोती की मृत्यु के पश्चात् गणेशलाल, किशनलाल एवं भीमजी के नाम पर 1/6-1/6 हिस्से अनुसार नामांतरकरण स्वीकृत होना चाहिए था जबकि उक्त नामांतरकरण मोती के पुत्र गणेश एवं भीमजी तथा किशनलाल के वारिसान शिवलाल एवं जेतीबाई के नाम 1/8-1/8 हिस्से अनुसार नामांतरकरण पारित किया गया। जबकि उक्त नामांतरकरण में गणेशलाल व भीमजी का हिस्सा 1/6-1/6 होना चाहिए था तथा शिवलाल व जेतीबाई का हिस्सा 1/12-1/12 होना चाहिए था। शिवलाल व जेतीबाई के पक्ष में 1/8-1/8 हिस्से का खोला गया नामांतरकरण न्याय के सिद्धान्तों के विरुद्ध है।

प्रकरण में जेतीबाई की भी मृत्यु हो चुकी है एवं उसका विरासत से नामांतरकरण संख्या 3360 खोला जा चुका है। चूंकि विरासत के आधार पर जेतीबाई का उक्त नामांतरकरण संख्या 115 में 1/12 हिस्सा बनता है त्रूटिवश उक्त नामांतरकरण में जेतीबाई का हिस्सा 1/8 दर्ज है जिससे मौजा मनवाखेडा, तहसील गिर्वा में आराजी संख्या 1006 रकबा 0.0650 हैक्टेयर, आराजी संख्या 1007 रकबा 0.1700 हैक्टेयर, आराजी संख्या 1008 रकबा 0.1300 हैक्टेयर, आराजी संख्या 1762 रकबा 0.0450 हैक्टेयर, आराजी संख्या 1763मी. रकबा 0.0500 हैक्टेयर, आराजी संख्या 1783 रकबा 0.2500 हैक्टेयर, आराजी संख्या 1789 रकबा 0.0050 हैक्टेयर, आराजी संख्या 1790 रकबा 0.0200 हैक्टेयर, आराजी संख्या 1791 रकबा 0.2100 हैक्टेयर, आराजी संख्या 1798 रकबा 0.0050 हैक्टेयर, आराजी संख्या 1799 रकबा 0.2200 हैक्टेयर, आराजी संख्या 1800 रकबा 0.0200 हैक्टेयर, आराजी संख्या 1866 रकबा 0.0700, आराजी संख्या 1967 रकबा 0.0550 हैक्टेयर, आराजी संख्या 1868 रकबा 0.0800 हैक्टेयर, आराजी संख्या 1913 रकबा 0.0750 हैक्टेयर, आराजी संख्या 1914 रकबा 0.0650 हैक्टेयर, आराजी संख्या 1915 रकबा 0.0850 हैक्टेयर, आराजी संख्या 1916 रकबा 0.1600 हैक्टेयर, आराजी संख्या 1917 रकबा 0.1850 हैक्टेयर, आराजी संख्या 1918 रकबा 0.0100 हैक्टेयर, आराजी संख्या 1919 रकबा 0.2100 हैक्टेयर,



जिला कलक्टर
उदयपुर

न्यायालय जिला कलक्टर, उदयपुर
प्र.स. 64/22 राजस्व
डाऊबाई बनाम शिवलाल
जी.सी.एम.एस. नंबर: 2022/73

हैक्टेयर, आराजी संख्या 1923 रकबा 0.1450 हैक्टेयर, आराजी संख्या 814 रकबा 0.1200 हैक्टेयर, आराजी संख्या 815 रकबा 0.1100 हैक्टेयर कुल किता 25 रकबा 2.5600 हैक्टेयर में पश्चात्वर्ती खोला गया नामांतरकरण संख्या 3360 भी त्रुटिपूर्ण सिद्ध होता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर प्रकरण तहसीलदार गिर्वा को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाना है कि वह हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के तहत मोती पिता नन्दा के विधिक वारिसानों अनुसार नामांतरकरण की कार्यवाही करे।

निर्णय की प्रति तहसीलदार गिर्वा को पालनार्थ प्रेषित की जावे।
प्रकरण फ़ैसल शुमार हो। बाद कार्यवाही दफ़तर दाखिल हो।



M
(अरविन्द कुमार पोसवाल)
जिला कलक्टर
उदयपुर